



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 24 अगस्त, 2021

भाद्रपद 2, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग-1

संख्या 794/79-वि-1-21-1-क-23-21

लखनऊ, 24 अगस्त, 2021

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद्, विधेयक, 2021 जिससे पर्यटन अनुभाग प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 24 अगस्त, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2021 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् अधिनियम, 2021

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 2021)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

चित्रकूट की समस्त प्रकार की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बंधी विरासत की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने की योजना तैयार करने, ऐसी योजना के क्रियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण करने और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा विरासत-संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संगत नीतियां विकसित करने, जिला चित्रकूट के किसी विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को चित्रकूट क्षेत्र के विरासतीय संसाधनों को प्रभावित करने वाली या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाली किसी योजना, परियोजना या किसी विकासगत प्रस्ताव के सम्बंध में परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने के लिये श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् का गठन करने और उससे सम्बंधित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारम्भिक

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला चित्रकूट के भीतर स्थित चित्रकूट क्षेत्र में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2—जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "चित्रकूट क्षेत्र" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश में राजस्व जिला चित्रकूट के भीतर के सम्पूर्ण क्षेत्र से है;

(ख) "मुख्य कार्यपालक अधिकारी" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद् के मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;

(ग) "कार्यपालक समिति" का तात्पर्य धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित कार्यपालक समिति से है;

(घ) "कार्यपालक उपाध्यक्ष" का तात्पर्य धारा 4 के अधीन नियुक्त परिषद् के कार्यपालक उपाध्यक्ष से है;

(ङ) "क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण" का तात्पर्य चित्रकूट जिला में राज्य सरकार या किसी स्थानीय निकाय या राज्य सरकार या भारत सरकार की अधिकारिता के अधीन किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने और/या उसे क्रियान्वित करने के लिये चयनित किसी सार्वजनिक उपक्रम से है;

(च) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाली प्रसुविधाएं और भू-बद्ध चीजें या भू-बद्ध किसी चीज से स्थायी रूप में आबद्ध चीजें सम्मिलित हैं;

(छ) "स्थानीय निकाय" का तात्पर्य किसी विकास प्राधिकरण, नगर निकाय या चित्रकूट क्षेत्र के नगरीय विकास से सम्बंधित किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण या किसी ग्राम पंचायत से है;

(ज) "सदस्य" का तात्पर्य ऐसे परिषद् या नियोजन तथा विकास समिति के किसी सदस्य से है और जिसमें उनके अध्यक्ष सम्मिलित हैं;

(झ) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् से है;

(ञ) "सहभागी विभाग" का तात्पर्य राज्य सरकार के विभाग या चित्रकूट जिला के किसी ऐसे स्थानीय निकाय से है जिसके क्रियाकलाप, परिषद् से सम्बंधित हों या उससे सम्बंधित होना संभाव्य हो;

(ट) "योजना" का तात्पर्य श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास योजना से है;

(ठ) "नियोजन तथा विकास समिति" का तात्पर्य धारा 6 के अधीन गठित नियोजन तथा विकास समिति से है;

(ड) "परियोजनागत योजना" का तात्पर्य योजना के लिए एक या उससे अधिक अवयवों को क्रियान्वित करने हेतु तैयार की गयी किसी विस्तृत योजना से है;

(ढ) "विनियमावली" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन परिषद् द्वारा बनायी गयी विनियमावली से है;

(ण) "श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास योजना" का तात्पर्य चित्रकूट क्षेत्र के विकास तथा पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास और चित्रकूट क्षेत्र की दोनों मूर्त तथा अमूर्त विरासत के संरक्षण के लिये इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी योजना से है;

अध्याय—दो

श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद्

परिषद् का गठन
और निगमन

3—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ गजट में अधिसूचना द्वारा एक परिषद् का गठन करेगी जिसे "श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद्" के रूप में जाना जायेगा।

(2) परिषद् एक निगमित निकाय होगी।

- (3) परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—
- (क) मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, जो परिषद के अध्यक्ष होंगे;
- (ख) उपाध्यक्ष— मंत्री, पर्यटन विभाग, उत्तर प्रदेश, सरकार;
- (ग) जिला चित्रकूट के राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन का सदस्य, पदेन;
- (घ) कार्यपालक उपाध्यक्ष, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त होंगे;
- (ङ) सदस्य सह-संयोजक/प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यटन विभाग, पदेन;
- (च) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, आवास एवं नगर नियोजन विभाग, पदेन;
- (छ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, वित्त विभाग, पदेन;
- (ज) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, पदेन;
- (झ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, धर्मार्थ कार्य विभाग, पदेन;
- (ञ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग, पदेन;
- (ट) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, परिवहन विभाग, पदेन;
- (ठ) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन विभाग, पदेन;
- (ड) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, पदेन;
- (ढ) आयुक्त, चित्रकूट मण्डल, चित्रकूट, पदेन;
- (ण) जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट, पदेन;
- (त) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट, पदेन;
- (थ) मुख्य नगर एवं ग्राम योजनाकार, उत्तर प्रदेश, पदेन;
- (द) परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो सदस्य सचिव होगा;
- (ध) अध्यक्ष, चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, पदेन;
- (न) कार्यपालक अधिकारी, चित्रकूट नगर पालिका परिषद, पदेन;
- (प) राज्य के विरासत के संरक्षण का ज्ञान, अनुभव, अभिदर्शन तथा तद्निमित्त कृत प्रयासों के ट्रैक अभिलेख वाले ऐसे पाँच प्रख्यात व्यक्ति, जो अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;
- (फ) एक करोड़ रुपये या उससे अधिक का दान करने वाले दान कर्तागण, परिषद के अनुमोदन के पश्चात् नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के रूप में विचार किये जाने हेतु पात्र होंगे।

(4) उपधारा (3) के खण्ड (प) और (फ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

4—(1) परिषद का एक कार्यपालक उपाध्यक्ष होगा, जो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

कार्यपालक
उपाध्यक्ष तथा मुख्य
कार्यपालक
अधिकारी

(2) परिषद का एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो राज्य सरकार के विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न अधिकारियों में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

(3) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, परिषद का प्रशासनिक प्रधान होगा और परिषद द्वारा प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियोजित या संविदा पर लिये गये समस्त अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन होंगे।

(4) कार्यपालक उपाध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी परिषद की निधि से ऐसे वेतन और भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय।

(5) परिषद के समस्त आदेश और विनिश्चय तथा अन्य लिखत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित होंगे।

कार्यपालक
समिति

5—(1) जब सम्पूर्ण परिषद का सम्मेलन करना व्यवहारिक न हो तब किसी आपात या अन्य सामयिक संवेदनशील मामला होने की दशा में परिषद की शक्तियों और उसके कृत्यों का प्रयोग करने के लिए एक कार्यपालक समिति होगी। कार्यपालक समिति में परिषद के समस्त पदेन सदस्य सम्मिलित होंगे और उसकी अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे।

(2) परिषद अपनी अगली बैठक में कार्यपालक समिति के कार्यवृत्त की समीक्षा करेगी और कार्यपालक समिति द्वारा कृत कार्यवाही का उपान्तरण कर सकती है, उसे अस्वीकृत कर सकती है या उसमें सुधार कर सकती है।

नियोजन तथा
विकास समिति
की संरचना

6—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् परिषद यथाशक्य शीघ्र अपने कृत्यों का निर्वहन करने में अपनी सहायता हेतु एक नियोजन तथा विकास समिति का गठन करेगी।

(2) नियोजन तथा विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :-

- (क) जिला मजिस्ट्रेट, चित्रकूट, जो अध्यक्ष होगा, पदेन;
- (ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो सदस्य सचिव होगा;
- (ग) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, चित्रकूट, पदेन;
- (घ) सचिव, विशेष परिक्षेत्र विकास प्राधिकरण, चित्रकूट, पदेन;
- (ङ) कार्यपालक अधिकारी, चित्रकूट नगर पालिका परिषद पदेन;
- (च) सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश, झांसी, पदेन;
- (छ) चित्रकूट जिला में प्रत्येक स्थानीय निकाय का अध्यक्ष, पदेन;
- (ज) कार्यपालक अभियन्ता, चित्रकूट—चित्रकूट विकास प्राधिकरण;
- (झ) अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, चित्रकूट, पदेन;
- (ञ) अधीक्षण अभियन्ता, जल शक्ति विभाग, चित्रकूट, पदेन;
- (ट) अधीक्षण अभियन्ता, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० (नगरीय एवं ग्रामीण), चित्रकूट, पदेन;
- (ठ) अधीक्षण अभियन्ता, उत्तर प्रदेश जल निगम चित्रकूट, पदेन;
- (ड) प्रभागीय वन अधिकारी, चित्रकूट, पदेन;
- (ढ) क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा, पदेन;
- (ण) अधीक्षक पुरातत्वविद, लखनऊ, पदेन;
- (त) क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, झांसी, पदेन;
- (थ) एक दृश्यभूमि अभिकल्पक एवं भाषान्तरण योजनाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;
- (द) राज्य का अनुभव रखने वाला एक पर्यावरणविद्, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;
- (ध) राज्य के सांस्कृतिक एवं पौराणिक इतिहास का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात इतिहासकार, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;
- (न) राज्य का अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात साहित्यकार या कलाकार, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;
- (प) एक प्रख्यात विधिवक्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा;
- (फ) दो प्रख्यात लोकप्रतिनिधि या सामाजिक कार्यकर्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे।

(3) उपधारा (2) के खण्ड (थ),(द),(ध),(न),(प) और (फ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पद की निबंधन एवं शर्तें वही होंगी जैसा कि विहित किया जाय।

7-(1) परिषद या नियोजन तथा विकास समिति, किसी समय बैठक कर सकती है और ऐसी अवधि, जैसा कि वह उचित समझे, के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को परिषद के या नियोजन तथा विकास समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है।

सहयोजित करने की शक्ति

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयोजित कोई व्यक्ति, यथा स्थिति, परिषद के, या नियोजन या विकास समिति के सदस्य की समस्त शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेगा तथा उनका निर्वहन करेगा किन्तु उसे मत देने का हक नहीं होगा।

8-परिषद का मुख्यालय चित्रकूट में होगा।

परिषद का मुख्यालय

9-परिषद ऐसे समयों और स्थानों पर बैठक करेगी जैसा कि परिषद द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

परिषद की बैठकें

10-नियोजन तथा विकास समिति ऐसे समयों पर बैठक करेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चय किया जाय या परिषद के उपाध्यक्ष द्वारा निदेशित किया जाय किन्तु दो निरन्तर बैठकों के मध्य का समय साठ दिन से अधिक का नहीं होगा।

नियोजन तथा विकास समिति की बैठकें

11-परिषद या नियोजन तथा विकास समिति का कोई कार्य या कार्यवाही, यथास्थिति, परिषद या नियोजन तथा विकास समिति के गठन में किसी रिक्ति या किसी त्रुटि के विद्यमान होने के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं होगी।

रिक्तियां इत्यादि जिनसे परिषद या नियोजन तथा विकास समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी

12-परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की बैठकों की गणपूर्ति दो-तिहाई सदस्यों से होगी।

बैठक की गणपूर्ति

अध्याय-तीन

परिषद और नियोजन तथा विकास समिति की शक्तियाँ और कृत्य

13-परिषद की शक्तियों में निम्नलिखित शक्तियाँ सम्मिलित होंगी:-

परिषद की शक्ति

(क) योजना और परियोजनाओं को तैयार करने, प्रवर्तित करने और उन्हें क्रियान्वित करने के सम्बंध में सहभागी विभागों से रिपोर्ट और सूचना मांगना;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि यथा स्थिति योजना या परियोजना, की तैयारी, प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन, चित्रकूट की संस्कृति और उसकी स्थापत्यकला के अनुरूप हो;

(ग) योजना के क्रियान्वयन प्रक्रमों को संसूचित करना;

(घ) योजना और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करना;

(ङ) सहभागी विभागों से व्यापक परियोजनाएं चयनित करना और उन्हें अनुमोदित करना, प्राथमिकता वाली विकास की मांग करना और उन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ऐसी सहायता का उपबंध करना जैसा कि परिषद उचित समझे;

(च) सेवाएं तथा सुविधाएं उपबंधित करने या उनके अनुरक्षण एवं विकास हेतु पर्यटकों से शुल्क या प्रभार उद्ग्रहीत करना;

(छ) स्वप्रेरणा से सम्पूर्ण चित्रकूट क्षेत्र में किसी क्षेत्र के विकास, पुनर्विकास और सौन्दर्यीकरण का सम्बर्द्धन करने तथा उसे सुरक्षित रखने के उद्देश्य से कोई कार्य/परियोजना प्रारम्भ करना;

(ज) राज्य सरकार के नियमों तथा विनियमों का अनुसरण करते हुए पारदर्शी रीति से किसी परियोजनागत योजना को तैयार करने तथा उसे क्रियान्वित करने के लिए क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण का चयन करना;

(झ) नियोजन तथा विकास समिति को ऐसे अन्य कृत्यों को, सौंपना जैसा कि वह इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक समझे।

परिषद के कृत्य

14-परिषद के कृत्य निम्नलिखित होंगे-

(क) योजना तैयार करना;

(ख) सहभागी विभागों (राज्य सरकार के समस्त विभाग) में से किसी विभाग द्वारा परियोजनाओं को तैयार करने की व्यवस्था करना;

(ग) किसी एक या उससे अधिक सहभागी विभागों या क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों के माध्यम से योजना एवं परियोजनाओं के प्रवर्तन तथा क्रियान्वयन का समन्वय करना;

(घ) चित्रकूट क्षेत्र में परियोजना की संरचना करने प्राथमिकताओं का अवधारण करने और उक्त योजना में संसूचित प्रक्रमों के अनुसार पर्यटन हेतु अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास की प्रावस्था निर्धारित करने तथा चित्रकूट की विरासत के संरक्षण के संबंध में सहभागी विभागों द्वारा समुचित तथा व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना;

(ङ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता तथा अभिरुचि की अभिवृद्धि करने के निमित्त समेकित प्रयास करना और उसका सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजीकरण करना, उसे संरक्षित रखना, सुरक्षित रखना, संवर्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(च) क्षेत्र के विरासत के सम्बन्ध में अनुसंधान का दायित्व ग्रहण करना तथा उसे प्रोत्साहित करना;

(छ) चित्रकूट क्षेत्र में नदियों और जलाशयों तथा उनके जलागम क्षेत्रों का संरक्षण तथा विकास करने हेतु उनमें प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करने तथा नदी तटों एवं जलाशयों का विकास करने के लिए दायित्व ग्रहण करना;

(ज) उक्त क्षेत्र के विरासतीय स्थापत्य कला के अनुरूप भवनों तथा संरचनाओं में एकरूपता लाने हेतु स्थापत्य विनियमावली बनाना;

(झ) चित्रकूट क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सशक्त करने, संरक्षित करने, सुरक्षित रखने तथा उसे संवर्धित करने के लिए पर्यटन अवसंरचना तथा क्रियाकलापों/परियोजनाओं के एकीकृत विकास के लिए विभिन्न पणधारकों-सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, मंदिर प्रबन्धन/न्यासों, स्वयंसहायता समूहों, अनुसंधानकर्ताओं और विद्वानों के मध्य समन्वयन सुनिश्चित करने की नीतियों का सूत्रपात करना;

(ञ) चित्रकूट क्षेत्र में राज्य निधियों तथा अन्य राजस्व स्रोतों यथा मंदिर न्यासों, दानों, गैर सरकारी संगठन कम्पनी/फर्मों तथा पर्यटकों आदि से प्राप्त निधियों के माध्यम से चयनित विकास परियोजनाओं की वित्त व्यवस्था करना तथा उसका पर्यवेक्षण करना;

(ट) चित्रकूट क्षेत्र में व्यावहारिक रूप में सौहार्द संवर्द्धन की छाप रख चुके या रखने वाले प्राधिकारियों के साथ समीपस्त क्षेत्रों में तत्सम्बन्धी मामलों तथा क्रिया-कलापों में समन्वय करना।

नियोजन तथा
विकास समिति
के कृत्य

15-(1) नियोजन तथा विकास समिति के कृत्य, परिषद की निम्नलिखित के संबंध में सहायता करने होंगे:-

(क) योजना तथा परियोजनाओं की तैयारी करना एवं उसके क्रियान्वयन का समन्वय करना;

(ख) सहभागी विभाग या किसी क्रियान्वयनकर्ता अभिकरण की परियोजनाओं की यह सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा करना कि वे योजना के अनुरूप हों;

(ग) परिषद को ऐसी संस्तुतियां करना जैसा कि वह किसी योजना का संशोधन या उपान्तरण करने के लिए आवश्यक समझे;

(घ) जिला स्तर पर विभिन्न परियोजनाओं का समन्वय तथा क्रियान्वयन करना;

(ङ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन करना जैसा कि उसे परिषद द्वारा सौंपें जायं।

2—जिला में विभागीय आय-व्ययक संबंधी स्वीकृतियों वाले विभिन्न सरकारी विभागों और अन्य क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों को नियोजन तथा विकास समिति के साथ उक्त योजना के अधीन उनकी विद्यमान योजनाओं/परियोजनाओं की समाभिरूपता तथा समन्वय सुनिश्चित करने हेतु समन्वय भी करना होगा।

अध्याय—चार

योजना तथा परियोजनागत योजनाएं

16—(1) योजना एक लिखित विवरण होगी और उसके साथ ऐसे मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत तथा विवरणात्मक मामले संलग्न होंगे जैसा कि परिषद योजना में अन्तर्विष्ट प्रस्तावों की व्याख्या करने या दृष्टांत देने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त समझे और ऐसे प्रत्येक मानचित्र, रेखाचित्र, दृष्टांत और विवरणात्मक मामले योजना के अंग समझे जायेंगे।

योजना की
विषयवस्तु

(2) उक्त योजना में ऐसी रीति संसूचित होगी जिसमें चित्रकूट क्षेत्र में विकास सम्बन्धी क्रिया—कलाप या संरक्षण तथा ऐसे अन्य मामले ग्रहण किये जायेंगे, जिनका चित्रकूट क्षेत्र में पर्यटन के विकास तथा चित्रकूट की विरासत के संरक्षण पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव हो या होना सम्भावित हो। उक्त योजना में योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होंगे अर्थात् :-

(क) विभिन्न प्रयोगों के लिये भू-उपयोग तथा भूमि आवंटन को विनियमित करने की नीति;

(ख) प्रमुख नगरीय व्यवस्थापन प्रणाली तथा स्थापत्य विनियमावली के लिए प्रस्ताव;

(ग) भावी विकास के लिए उपयुक्त आर्थिक आधार का उपबन्ध करने के लिए प्रस्ताव;

(घ) स्थानीय परिवहन सहित क्षेत्र के लिए सहायक रेलवे तथा मुख्य मार्गों से युक्त परिवहन तथा संचार से सम्बंधित प्रस्ताव;

(ङ) नगरीय सेवाओं यथा पेयजल, मलजल तथा जल निकास व्यवस्था के लिए प्रस्ताव;

(च) ऐसे क्षेत्रों को संसूचित करना जिनकी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में तत्काल विकास की आवश्यकता हो;

(छ) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में जागरूकता और अभिरूचि की अभिवृद्धि करने के लिए प्रस्ताव और इसे सुव्यवस्थित रूप में दस्तावेजी कृत करना, संरक्षित करना, सुरक्षित करना, संवर्द्धित करना, प्रदर्शित करना और प्रसारित करना;

(ज) चित्रकूट क्षेत्र के संतुलित विकास तथा अभिवृद्धि के लिए समुचित योजना बनाने हेतु सम्बंधित सहभागी विभागों के साथ परामर्श करके परिषद द्वारा सम्मिलित किये जाने वाले अन्य मामले।

17—उक्त योजना तैयार करने के लिए परिषद ऐसी सहभागी विभागों या व्यक्तियों, जिन्हें वह इस निमित्त नियुक्त करे, द्वारा, ऐसे सर्वेक्षण तथा अध्ययन करा सकती है जैसा कि वह ऐसा किये जाने के लिए आवश्यक समझे, और ऐसे विनिर्दिष्ट मामलों के सम्बन्ध में अध्ययन कराने के लिए ऐसे विशेषज्ञों या परामर्श दाताओं को भी सहयोजित कर सकती है, जैसा कि उसके द्वारा अवधारित किया जाय।

सर्वेक्षण और
अध्ययन

योजना तैयार करने के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

18—(1) उक्त योजना का अन्तिम रूप प्रदान करने के पूर्व, परिषद, नियोजन तथा विकास समिति की सहायता से योजना का एक प्ररूप तैयार करेगी और उसे उसकी एक प्रतिलिपि निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराते हुए तथा यथाविहित प्ररूप में और रीति से एक नोटिस ऐसे दिनांक के पूर्व जैसा कि नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रकाशित कराते हुए योजना के प्ररूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से आपत्तियाँ तथा सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करायेगी।

(2) परिषद प्रत्येक ऐसे स्थानीय प्राधिकरण/विभाग जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त योजना द्वारा किसी भी रूप में प्रभावित कोई भूमि स्थित हो, को योजना के प्ररूप के संबंध में कोई प्रत्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त अवसर भी प्रदान करेगी।

(3) परिषद द्वारा प्राप्त की गयी समस्त आपत्तियों, सुझावों तथा प्रत्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात् परिषद अन्तिम रूप से योजना तैयार करेगी।

योजना को प्रवर्तित किये जाने का दिनांक

19—उक्त योजना को अन्तिम रूप से तैयार किये जाने के तत्काल पश्चात् परिषद यह उल्लेख करते हुए कि उसके द्वारा योजना अन्तिम रूप से तैयार कर ली गयी है और ऐसे स्थानों को नामित कर दिया गया है जहाँ योजना की प्रतिलिपि का समस्त युक्तियुक्त समयों पर निरीक्षण किया जा सकता है, यथा विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करायेगी और पूर्वोक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन के दिनांक को उक्त योजना प्रवर्तित होगी और सम्यक रूप से तैयार की गयी समझी जायेगी।

योजना का उपान्तरण

20—(1) परिषद उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन योजना में ऐसे उपान्तरण, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकती है, जो उसकी राय में योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति को प्रभावित न करे और जो भू-उपयोगों की सीमा या जनसंख्या घनत्व के मानकों से सम्बंधित न हो।

(2) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में कोई उपान्तरण करने के पूर्व, परिषद यथा विहित प्ररूप में तथा रीति से एक नोटिस, अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना में प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरणों को संसूचित करते हुए और नोटिस में यथाविनिर्दिष्ट दिनांक के पूर्व प्रस्तावित उपान्तरणों के सम्बंध में किसी व्यक्ति से आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित करेगी और स्वयं द्वारा यथा विनिर्दिष्ट दिनांक को या उसके पूर्व प्राप्त की जाने वाली समस्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार करेगी।

(3) इस धारा के अधीन किये गये प्रत्येक उपान्तरण को परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली रीति से प्रकाशित की जायेगी और उक्त उपान्तरण ऐसे प्रकाशन के दिनांक को अथवा ऐसे पश्चात्पूर्वी दिनांक को, जैसा कि परिषद नियत करे, प्रवर्तित होगा।

(4) यदि कोई प्रश्न उठता है कि प्रस्तावित किये जाने वाले उपान्तरण ऐसे उपान्तरण हैं जिनसे योजना की महत्वपूर्ण प्रकृति प्रभावित होती हो तो इसका विनिश्चय परिषद द्वारा किया जायेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

योजना की समीक्षा और उसका पुनरीक्षण

21—(1) अन्तिम रूप से तैयार की गयी योजना को प्रवर्तित किये जाने के दिनांक से प्रत्येक पांच वर्ष के पश्चात् परिषद ऐसी समीक्षा के पश्चात् उसकी समग्रता में ऐसी योजना की समीक्षा कर सकती है, और ऐसी समीक्षा के पश्चात् इसके स्थान पर नई योजना ला सकती है या उसमें ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन कर सकती है जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति की सहमति से उसके द्वारा आवश्यक पाया जाय।

(2) जहाँ उक्त योजना के स्थान पर नई योजना रखने का प्रस्ताव किया जाय या जहाँ ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन का प्रस्ताव हो वहाँ, यथा-स्थिति, ऐसी नई योजना या ऐसे उपान्तरण या परिवर्तन उसी रीति से प्रकाशित एवं व्यवहृत किये जायेंगे मानों यह ऐसी योजना हो, जो धारा 18 और 19 में निर्दिष्ट हो या मानों वे धारा 20 के अधीन बनायी गयी योजना में उपान्तरण या परिवर्तन हों।

परियोजनागत योजना की तैयारी, समन्वय और सहभागिता

22—(1) सहभागी विभाग स्वयं अथवा, यथास्थिति, एक या उससे अधिक सहभागी विभागों के सहयोग से परियोजनागत योजनाओं की एक या उससे अधिक तत्वों को तैयार कर सकता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अनुदान, ऋण या आय-व्ययक प्राप्त करने वाले जिला के विभिन्न सहभागी विभागों को, उक्त योजना के अधीन योजनाओं/परियोजनाओं सहित अपने विभागीय योजनाओं की समभिरूपता/समन्वय को सुनिश्चित करना होगा।

अध्याय—पाँच
वित्त, लेखा और लेखा—परीक्षा

23—राज्य सरकार, विधान मण्डल द्वारा इस निमित्त विधि के माध्यम से किये गये सम्यक विनियोजन के पश्चात् परिषद को ऐसी धनराशि का अनुदान, अग्रिम तथा ऋण प्रदान कर सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों को क्रियान्वित करने के लिए परिषद को समर्थ बनाने हेतु आवश्यक समझे।

सरकार द्वारा अनुदान अग्रिम और ऋण

24—(1) परिषद की अपनी एक पृथक बैंक खाता में अनुरक्षित की जाने वाली एक निधि का गठन किया जायेगा, जिसे श्री चित्रकूट धाम विकास परिषद निधि कहा जायेगा और उसमें निम्नलिखित धनराशियाँ जमा की जायेंगी :-

निधि का गठन

(क) धारा 23 के अधीन राज्य सरकार द्वारा परिषद को प्रदान किया गया कोई अनुदान तथा ऋण;

(ख) सहभागी विभागों द्वारा परिषद को संदत्त की गई समस्त धनराशि;

(ग) अन्य स्रोतों यथा—मन्दिर न्यासों से प्राप्त धनराशि, गैर सरकारी संगठन, कम्पनियों, फर्मों तथा व्यक्तियों आदि से प्राप्त दान;

(घ) परिषद द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से प्राप्त कोई अन्य धनराशि, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा परिषद के परामर्श से विनिश्चित किया जाय।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि में जमा की गई धनराशि का उपयोग निम्नलिखित के लिये किया जायेगा :-

(क) कार्यपालक उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा परिषद के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों के वेतनों, भत्तों और अन्य पारिश्रमिक की पूर्ति करना तथा परिषद के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति करना;

(ख) चित्रकूट क्षेत्र के लिए सर्वेक्षण तथा प्रारम्भिक अध्ययन संचालित करना और तदनिमित्त योजनाएं/परियोजनाएं अभिकल्पित करना;

(ग) परिषद द्वारा विनिश्चित किये जाने वाले निबंधनों और शर्तों के अध्याधीन उक्त योजना तथा परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सहभागी विभागों और क्रियान्वयनकर्ता अभिकरणों को वित्तीय सहायता उपबन्धित करना;

(घ) इस अधिनियम का प्रशासनीकरण करने में परिषद द्वारा उपगत किन्हीं अन्य व्ययों की पूर्ति करना।

25—परिषद प्रत्येक वर्ष ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे समय पर, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, अगले आगामी वित्तीय वर्ष के लिये एक आय—व्ययक तैयार करेगी और उसे वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने के न्यूनतम नब्बे दिन पूर्व राज्य सरकार को अग्रसारित करेगी।

आय—व्ययक

26—परिषद प्रत्येक वर्ष अपने उस वर्ष के क्रिया—कलापों की एक रिपोर्ट तैयार करेगी और उक्त रिपोर्ट राज्य सरकार को ऐसे प्रारूप में तथा ऐसे दिनांक को या उसके पूर्व, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, प्रस्तुत करेगी और ऐसी रिपोर्ट राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायेगी।

वार्षिक रिपोर्ट

27—(1) परिषद समुचित लेखाओं तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगी और ऐसे प्रारूप में जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, तुलनपत्र सहित वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगी।

लेखा और लेखा—परीक्षा

(2) परिषद के लेखाओं की वार्षिक लेखा—परीक्षा, परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा द्वारा करायी जायेगी और/या राज्य सरकार, उक्त लेखा—परीक्षा, महालेखाकार उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को या किसी अन्य लेखा—परीक्षक को ऐसे निबंधन एवं शर्तों पर, ऐसी रीति से, ऐसी अवधि के लिए और ऐसे समय में सौंप सकती है जैसा कि उसके एवं राज्य सरकार के मध्य सहमति हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन लेखा—परीक्षा संचालित करने वाले किसी व्यक्ति के अधिकार, प्राधिकार और विशेषाधिकार,—

(क) परीक्षक स्थानीय निधि लेखा के मामले में, वही होंगे जैसा कि उसके पास स्थानीय प्राधिकरण के लेखाओं की लेखा—परीक्षा के सम्बन्ध में हो;

(ख) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के मामले में वही होंगे, जैसा कि उसके पास सरकारी लेखाओं की लेखा-परीक्षा के सम्बन्ध में हों; और

(ग) किसी अन्य लेखा परीक्षक के मामले में वहीं होंगे जैसा कि विहित किया जाय।

(4) परिषद राज्य सरकार को वार्षिक रूप में या ऐसे समय में, जैसा कि उसके द्वारा निदेशित किया जाय, लेखा परीक्षित लेखाओं की उस पर लेखा परीक्षक रिपोर्ट सहित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगी।

राज्य विधान
मण्डल के समक्ष
रखी जाने वाली
वार्षिक रिपोर्ट
तथा लेखा
परीक्षक रिपोर्ट

28—राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षक रिपोर्ट प्राप्त किये जाने के पश्चात् राज्य विधान मण्डल, जब वह सत्र में हो, के प्रत्येक सदन के पटल पर यथाशक्य शीघ्र उन्हें रखवायेगी।

अध्याय—छः

भूमि का अर्जन और निस्तारण

अधिनियम के
प्रयोजनार्थ भूमि
अर्जित किया जाना

29—(1) यदि राज्य सरकार की राय में इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजनार्थ या किसी अन्य प्रयोजनार्थ किसी भूमि का अर्जन किया जाना अपेक्षित हो तो राज्य सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) के उपबन्धों के अधीन ऐसी भूमि को अर्जित कर सकती है।

(2) जहाँ राज्य सरकार द्वारा कोई भूमि अर्जित की गई हो वहाँ वह उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् उक्त भूमि, परिषद को ऐसे प्रयोजन के लिए अन्तरित कर सकती है जिसके लिए उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम, के अधीन प्रदत्त प्रतिकर का, और अर्जन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा उपगत प्रभारों का, परिषद द्वारा, संदाय किये जाने पर उक्त भूमि अर्जित की गई हो।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्रदान किये गये किन्हीं निदेशों के अध्याधीन राज्य सरकार द्वारा अर्जित की गई और परिषद को अन्तरित की गई भूमि, परिषद द्वारा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन अभिकरण को ऐसी रीति से और ऐसी निबंधन एवं शर्तों के अध्याधीन अन्तरित की जा सकती है जैसाकि वह इस अधिनियम, के प्रयोजनार्थ उसके द्वारा उचित समझे जाने वाले विकास का दायित्व ग्रहण करने या उसे क्रियान्वित करने के पश्चात् चित्रकूट क्षेत्र के विकास को संरक्षित करने के लिए समीचीन समझे।

प्रयोजन में
परिवर्तन किया
जाना अनुज्ञात नहीं
है

30—ऐसे प्रयोजन या सम्बंधित प्रयोजनों, जिसके/जिनके लिये मूल रूप में भूमि अर्जित की जानी अपेक्षित हो, में कोई परिवर्तन की अनुज्ञा, इसके सिवाय नहीं प्रदान की जायेगी जैसा कि अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में यथा उपबन्धित रूप में निर्दिष्ट हो।

अप्रयुक्त भूमि का
वापस किया जाना

31—जब इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अर्जित की गई भूमि अप्रयुक्त रहती है तो इसका निस्तारण अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपबन्धों के अनुसार किया जायेगा।

विद्यमान विधियों के
अतिरिक्त किये
जाने वाले उपबन्ध

32—इस अधिनियम के उपबन्ध किसी अन्य अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में होंगे।

राज्य सरकार की
निदेश देने की
शक्ति

33—राज्य सरकार समय-समय पर परिषद को ऐसे निदेश दे सकती है जैसा कि वह इस अधिनियम के दक्ष प्रशासनीकरण के लिए उपयुक्त समझे और परिषद ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा।

34—(1) राज्य सरकार अपने किसी भी विभाग को यह निदेश दे सकती है कि वह ऐसी निबंधन एवं शर्तों, जैसा कि पारस्परिक रूप में सहमति हो, पर परिषद को ऐसी प्राविधिक सहायता उपबन्धित करे जैसा कि वह आवश्यक समझे।

परिषद/नियोजन तथा विकास समिति को प्राविधिक सहायता दिया जाना

(2) नियोजन तथा विकास समिति को अपने कृत्यों का सम्पादन करने के लिए समर्थ बनाने की दृष्टि से परिषद उपधारा (1) के अधीन अपने द्वारा प्राप्त की गई प्राविधिक सहायता में से नियोजन तथा विकास समिति को ऐसी प्राविधिक सहायता उपलब्ध करायेगी जैसा कि नियोजन तथा विकास समिति अपेक्षा करे।

35—(1) राज्य सरकार क्रमशः दो उपयुक्त व्यक्तियों को परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी और वित्त अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकती है जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय या उन्हें परिषद अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित किया जाय।

परिषद के अधिकारी एवं कर्मचारी

(2) ऐसे नियंत्रण और निर्बंधनों के अध्यक्षीन, जैसा कि राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा अवधारित किया जाय, परिषद इस निमित्त बनायी जाने वाली किन्हीं नियमों के अध्यक्षीन ऐसे पद पर नियुक्तियाँ कर सकती है और इस प्रकार नियुक्त किये गये व्यक्तियों के पदनामों एवं ग्रेडों का अवधारण कर सकती है जैसा कि इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का दक्षतापूर्वक निष्पादन करने के लिए आवश्यक हो।

(3) विधिक मामलों में परिषद को सलाह देने के लिये एक विधि सलाहकार होगा जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के न्याय विभाग के परामर्श से की जायेगी।

(4) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों की अर्हता, सेवा की निबंधन एवं शर्तें तथा उनके कृत्य एवं कर्तव्य यथा विहित रूप में होंगे।

(5) परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्त अधिकारी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी राज्य सरकार के अनुमोदन से न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि और अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिये किसी विभाग से प्रतिनियुक्त के आधार पर प्रतिनियुक्त किये जायेंगे और वे परिषद की निधियों से वेतन तथा भत्तों के लिए हकदार होंगे।

36—परिषद सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि किसी कृत्य या शक्ति (योजना और उसमें किये जाने वाले उपान्तरणों तथा परिवर्तनों को अनुमोदित करने और विनियमावली बनाने की शक्ति से भिन्न) या उसके द्वारा इस अधिनियम या तदधीन बनायी गयी नियमावली के अधीन निष्पादित किये गये, प्रयुक्त किये गये या निर्वहन किये गये कर्तव्य, ऐसी शर्तों, यदि कोई हों, जिन्हें ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन ऐसे अधिकारी द्वारा भी किया जायेगा जैसा कि उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय और जहाँ ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय वहाँ ऐसा अधिकारी, जिसे ऐसी शक्ति प्रत्यायोजित की जाय, उन शक्तियों का निष्पादन, प्रयोग या निर्वहन करेगा।

प्रत्यायोजन

37—इस निमित्त बनायी गयी किसी नियमावली के अध्यक्षीन परिषद द्वारा इस निमित्त सामान्यतः या विशिष्टतः प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी भूमि या परिसर में समस्त युक्तियुक्त समयों पर प्रवेश कर सकता है और वहाँ पर ऐसी चीजें कर सकता है जो किसी कार्य को विधिसम्मत रूप से करने के प्रयोजन के लिए या इस अधिनियम के अधीन परिषद द्वारा किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निष्पादन करने के लिए प्रारम्भिक या आनुषंगिक कोई सर्वेक्षण, परीक्षण या जाँच करना आवश्यक हो:

प्रवेश करने की शक्ति

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति किसी भवन या किसी परिवेष्टित प्रांगण या किसी निवास गृह से संलग्न उद्यान में प्रवेश उसके अधिभोगी को ऐसा करने के अपनी आशय की लिखित रूप में कम से कम तीन दिन पूर्व नोटिस दिये बिना नहीं करेगा।

38—परिषद के अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब वे इस अधिनियम के किसी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या कार्य करना तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थातर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

परिषद के अधिकारी और कर्मचारी लोक सेवक होंगे

सद्भावना पूर्वक
कृत कार्यवाही का
संरक्षण

39—इस अधिनियम के अधीन सद्भावनापूर्वक की गई या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के लिये परिषद, नियोजन तथा विकास समिति, उसके सदस्यों, अधिकारियों या कर्मचारियों, जिनमें इस अधिनियम के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करने या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है, के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी।

नियमावली बनाने
की शक्ति

40—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकती है।

(2) पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित समस्त या कोई विषय उपबंधित किये जा सकते हैं; अर्थात् :-

(क) धारा 3 की उपधारा (4) और धारा 6 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदस्यों के पदों की निबंधन एवं शर्तें;

(ख) प्रारूप और रीति, जिसमें धारा 18 की उपधारा(1) और धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(ग) रीति, जिसमें धारा 19 के अधीन नोटिस प्रकाशित की जायेगी;

(घ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना हो या किया जा सकता है अथवा जिसके सम्बन्ध में नियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

विनियम बनाने की
शक्ति

41—(1) परिषद इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी विनियमावली बना सकती है जो इस अधिनियम और तद्धीन बनायी गई नियमावली से असम्बद्ध न हो।

(2) विशिष्टतः और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी विनियमावली में निम्नलिखित कोई या समस्त मामले उपबंधित हो सकते हैं; अर्थात् :-

(क) रीति, जिसमें और प्रयोजन, जिसके लिये परिषद धारा 17 के अधीन अपने साथ किसी व्यक्ति को सहयोजित कर सकती है;

(ख) धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा की निबन्धन एवं शर्तें;

(ग) कोई अन्य मामला, जिसके सम्बन्ध में विनियमावली द्वारा उपबन्ध किया जाना हो या किया जा सकता है।

परिषद का विघटन

42—(1) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि उन प्रयोजनों, जिनके लिये इस अधिनियम के अधीन परिषद की स्थापना की गयी थी, को मौलिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है या परिषद अपने लक्ष्यों में विफल हो गयी है जिसके फलस्वरूप राज्य सरकार की राय में परिषद का निरन्तर बना रहना अनावश्यक हो गया है, वहाँ राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि परिषद को ऐसे दिनांक से विघटित कर दिया जायेगा जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय; और परिषद तदनुसार विघटित की गयी समझी जायेगी।

(2) उक्त दिनांक से—

(क) समस्त सम्पत्तियां, निधियां और देय, जो परिषद में निहित हैं या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य हैं; राज्य सरकार में निहित हो जायेंगी या उसके द्वारा वसूल किये जाने योग्य होंगी;

(ख) समस्त देनदारियां, जो परिषद के सापेक्ष प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के सापेक्ष प्रवर्तनीय होंगी;

(ग) परिषद् द्वारा पूर्णतः कार्यान्वित न किये गये कोई कार्य करने के लिये और खण्ड(क) में निर्दिष्ट सम्पत्तियां, निधियों और देयों को वसूल करने के लिये परिषद के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

(3) इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इस धारा की कोई बात, राज्य सरकार को परिषद का पुनर्गठन करने से रोकने के रूप में नहीं माना जायेगा।

43—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध, आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के दौरान उपान्तरण, परिवर्द्धन या चूक के माध्यम से ऐसे अनुकूलनों, जैसाकि वह आवश्यक और समीचीन समझे, के अध्यक्षीन प्रभावी होंगे।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मण्डल प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जायेगा।

उद्देश्य और कारण

चित्रकूट की समस्त प्रकार की सांस्कृतिक, पारिस्थितिकीय तथा स्थापत्य सम्बंधी विरासत की सौंदर्यपरक गुणवत्ता को परिरक्षित करने, विकसित करने तथा अनुरक्षित करने की योजना तैयार करने; ऐसी योजना के क्रियान्वयन का समन्वय एवं अनुश्रवण करने और क्षेत्र में एकीकृत पर्यटन विकास तथा विरासत-संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु संगत नीतियां विकसित करने; जिला चित्रकूट के किसी विभाग/स्थानीय निकाय/प्राधिकरण को चित्रकूट क्षेत्र के विरासतीय संसाधनों को प्रभावित करने वाली या सम्भावित रूप में प्रभावित करने वाली किसी योजना, परियोजना या किसी विकासगत प्रस्ताव के सम्बंध में परामर्श एवं मार्गदर्शन प्रदान करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिये श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् का गठन करने की आवश्यकता का अनुभव किया गया है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् की स्थापना का उपबंध करने के लिये एक विधि बनाये जाने का विनिश्चय किया गया है।

तदनुसार उत्तर प्रदेश श्री चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद् विधेयक, 2021 पुरः स्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

No. 794 (2)/LXXIX-V-1-21-1-ka-23-21

Dated Lucknow, August 24, 2021

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Shree Chitrakoot Dhaam Teerth Vikaas Parishad Adhiniyam, 2021 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 29 of 2021) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 24, 2021. The Paryatan Anubhag is administratively concerned with the said Adhiniyam.

THE UTTAR PRADESH SHREE CHITRAKOOT DHAM TEERTH
VIKAS PARISHAD ACT, 2021

(U.P. Act no. 29 of 2021)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to provide for the constitution of Shree Chitrakoot Dham Teerth Vikas Parishad for the preparation of a plan for preserving, developing and maintaining the aesthetic quality of Chitrakoot Heritage in all hues-cultural, ecological and architectural; co-ordinating and monitoring the implementation of such plan and for evolving harmonized policies for integrated tourism development and heritage

conservation and management in the region; giving advice and guidance to any Department/Local body/Authority in the District of Chitrakoot in respect of any plan, project or any development proposal which affects or is likely to affect the heritage resources of the Chitrakoot region and for matters connected therewith or incidental thereto.

IT IS HEREBY enacted in the Seventy Second Year of the Republic of India as follows: -

CHAPTER-I
PRELIMINARY

Short title, extent and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Shree Chitrakoot Dham Teerth Vikas Parishad Act, 2021.

(2) It extends to the Chitrakoot region situated within the revenue District of Chitrakoot in Uttar Pradesh.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the *Gazette*, appoint.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires, -

(a) "Chitrakoot Region" means the whole of the area within the revenue district of Chitrakoot in Uttar Pradesh;

(b) "Chief Executive Officer" means the Chief Executive Officer of the Parishad appointed under section 4;

(c) "Executive Committee" means the Executive Committee constituted under sub-section (1) of section 5;

(d) "Executive Vice-Chairperson" means the Executive Vice-Chairperson of the Parishad appointed under section 4;

(e) "Implementing agency" means a department of the State Government or a Local Body in Chitrakoot district or a public undertaking under the jurisdiction of the State Government or the Government of India chosen for preparation and/or implementation of any Project plan;

(f) "Land" includes benefits to arise out of land and things attached to the earth or permanently fastened to anything attached to the earth;

(g) "Local body" means a Development Authority, Municipal Body or any other local authority concerned with the urban development of the Chitrakoot region or any Gram Panchayat;

(h) "Member" means a member of the Parishad or the Planning and Development Committee and includes the Chairperson there of;

(i) "Parishad" means the Shree Chitrakoot Dham Teerth Vikas Parishad constituted under section 3;

(j) "Participating Department" means the State Government Department or a Local Body in Chitrakoot District whose activities have or are likely to have bearing on the functions of the Parishad;

(k) "Plan" means the Shree Chitrakoot Dham Teerth Vikas Plan;

(l) "Planning and Development Committee" means the Planning and Development Committee constituted under section 6;

(m) "Project Plan" means a detailed plan prepared to implement one or more elements to the Plan;

(n) "Regulations" means regulations made by the Parishad under this Act;

(o) "Shree Chitrakoot Dham Teerth Vikas Plan" means the plan prepared under this Act for the development of the Chitrakoot region and for the development of infrastructure facilities for tourism and conservation of the Heritage, both tangible and intangible, in Chitrakoot region.

CHAPTER-II

THE SHREE CHITRAKOOT DHAM TEERTH VIKAS PARISHAD

Constitution and incorporation of the Parishad

3. (1) The State Government shall, by notification in the *Gazette*, constitute for the purpose of this Act, a Parishad, to be called the Shree Chitrakoot Dham Teerth Vikas Parishad.

- (2) The Parishad shall be a body corporate.
- (3) The Parishad shall consist of the following members, namely: -
- (a) the Chief Minister, Uttar Pradesh who shall be the Chairperson of the Parishad;
- (b) Vice-Chairperson- The Minister of Tourism Department Government of Uttar Pradesh;
- (c) Members of each house of the State Legislature of district Chitrakoot, *ex officio*;
- (d) Executive Vice-Chairperson- Appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh;
- (e) Member Co-ordinator/The Principal Secretary to Government of Uttar Pradesh in the Department of Tourism, *ex officio*;
- (f) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Housing and Urban Planning, *ex officio*;
- (g) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Finance, *ex officio*;
- (h) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Culture, *ex officio*;
- (i) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Religious Affairs, *ex officio*;
- (j) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Urban Development, *ex officio*;
- (k) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Transport, *ex officio*;
- (l) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Environment, Forest and Climate change, *ex officio*;
- (m) the Principal Secretary to the Government of Uttar Pradesh in the Department of Public Works, *ex officio*;
- (n) the Commissioner, Chitrakoot Division, Chitrakoot, *ex officio*;
- (o) the District Magistrate, Chitrakoot, *ex officio*;
- (p) Senior Superintendent of Police/Superintendent of Police Chitrakoot, *ex officio*;
- (q) the Chief Town and Country Planner, Uttar Pradesh, *ex officio*;
- (r) the Chief Executive Officer of the Parishad who shall be the Member-Secretary.
- (s) the Chairperson, Chitrakoot Special Area-Development Authority, *ex officio*;
- (t) the Executive Officer Chitrakoot Nagar Palika Parishad, *ex officio*;
- (u) five eminent persons having knowledge, experience, exposure and track record of efforts for the conservation of heritage of the state, to be nominated by the Chairperson;
- (v) Donors who donate a sum of Rs. One crore or more shall be eligible to be considered as a nominated member after the approval of the Parishad.

(4) The terms and conditions of office of the members nominated under clause (u) and (v) of sub-section (3) shall be such as may be prescribed.

4. (1) There shall be an Executive Vice-Chairperson of the Parishad to be appointed by the Chief Minister of Uttar Pradesh.

(2) There shall be the Chief Executive Officer of the Parishad to be appointed by the State Government from amongst the officers not below the rank of Special Secretary of the State Government.

(3) The Chief Executive Officer shall be the Administrative Head of the Parishad and all the officers employed by the Parishad on deputation or taken on contractual basis shall be under the administrative control of the Chief Executive Officer.

The Executive Vice-Chairperson and the Chief Executive Officer

(4) The Executive Vice-Chairperson and the Chief Executive Officer shall be entitled to receive from the fund of the Parishad such salaries and allowances and be governed by such conditions of service as may be determined by general or special order of the State Government issued in this behalf.

(5) All orders and decisions and other instruments of the Parishad shall be authenticated by the signature of the Chief Executive Officer.

The Executive
Committee

5. (1) There shall be an Executive Committee to exercise the powers and the functions of the Parishad in the event of an emergency or other time-sensitive matters when it is not practicable to assemble the entire Parishad. The Executive Committee shall comprise all the *ex-officio* members of the Parishad and shall be chaired by the Vice-Chairperson.

(2) The Parishad shall, in its next meeting, review the minutes of the Executive Committee and may modify, reject or rectify the action taken by the Executive Committee.

Composition of
the Planning and
Development
Committee

6. (1) The Parishad shall, as soon as may be after the commencement of this Act, constitute a Planning and Development Committee, for assisting the Parishad in the discharge of its functions.

(2) The Planning and Development Committee shall consist of the following members, namely: -

(a) the District Magistrate, Chitrakoot, who shall be the Chairperson, *ex officio*;

(b) the Chief Executive Officer, who shall be the member secretary;

(c) the Senior Superintendent of Police, Chitrakoot, *ex officio*;

(d) the Secretary-Special Zone Development Authority, Chitrakoot, *ex officio*;

(e) the Executive Officer, Chitrakoot Nagar Palika Parishad, *ex officio*;

(f) the Sahyukt Niyojak, Nagar evam Gram Niyojan Vibhag, Uttar Pradesh Jhansi, *ex officio*;

(g) the Chairperson of every Local Body in the Chitrakoot District, *ex officio*;

(h) the Executive Engineer, Chitrakoot-Chitrakoot Development Authority, Chitrakoot, *ex officio*;

(i) the Superintending Engineer, Public Works Departments, Chitrakoot, *ex officio*;

(j) the Superintending Engineer, Jal Shakti Department, Chitrakoot, *ex officio*;

(k) the Superintending Engineer, Pashchimanchal Vidyut Vitran Nigam Limited (Urban and Rural), Chitrakoot, *ex officio*;

(l) the Superintending Engineer, Uttar Pradesh Jal Nigam, Chitrakoot, *ex officio*;

(m) the Divisional Forest Officer, Chitrakoot, *ex officio*;

(n) the Regional Officer, Pollution Control Parishad, Banda, *ex officio*;

(o) the Superintendent Archaeologist, Lucknow, *ex officio*;

(p) the Regional Tourist Officer, Jhansi, *ex officio*;

(q) a Landscape Designer and interpretive planner, to be nominated by the State Government;

(r) an Environmentalist having experience of the state, to be nominated by the State Government;

(s) an Eminent historian having experience in the cultural and mythological history of the State, to be nominated by the State Government;

(t) a Litterateur or an Artist of repute having experience of the state, to be nominated by the State Government;

(u) an Eminent lawyer, to be nominated by the State Government;

(v) two eminent public representative or Social Worker, to be nominated by the State Government.

(3) The terms and conditions of office of the members nominated under clauses (q), (r), (s), (t), (u) and (v) of sub-section (2) shall be such as may be prescribed.

7. (1) The Parishad or the Planning and Development Committee may meet at any time and for such period as it thinks fit, co-opt any person or persons as a member or members of the Parishad or of the Planning and Development Committee. Power to co-opt
- (2) A person co-opted under sub-section (1) shall exercise and discharge all the powers and functions of a member of the Parishad or of the Planning and Development Committee, as the case may be, but shall not be entitled to vote.
8. The headquarter of the Parishad shall be at Chitrakoot. Headquarters of the Parishad
9. The Parishad shall meet at such times and at such place as may be determined by it from time to time. Meetings of the Parishad
10. The Planning and Development Committee shall meet at such times as may be decided by the Chairperson of the Planning and Development Committee or directed by the Vice-Chairperson of the Parishad but the time between two consecutive meetings shall not exceed sixty days. Meetings of the Planning and Development Committee
11. No act or proceeding of the Parishad or of the Planning and Development Committee shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy in, or any defect in the constitution of the Parishad or the Planning and Development Committee as the case may be. Vacancies, etc. not to invalidate proceedings of the Parishad of the Planning and Development Committee
12. The quorum for the meetings of the Parishad and the Planning and Development Committee shall comprise of 2/3rd of the members. Quorum of the meeting

CHAPTER-III

POWERS AND FUNCTIONS OF THE PARISHAD AND OF THE PLANNING AND DEVELOPMENT COMMITTEE

13. The powers of the Parishad shall include the powers to,- Power of the Parishad
- (a) call for reports and information from the Participating Departments with regard to preparation, enforcement and implementation of the Plan and the Projects;
- (b) ensure that the preparation, enforcement and implementation of the Plan or the Project, as the case may be, is in conformity with the Chitrakoot Culture and Architecture;
- (c) indicate the stages for the implementation of the Plan;
- (d) review the implementation of the Plan and the Projects;
- (e) select and approve comprehensive projects from the participating Departments, call for priority development and provide such assistance for the implementation of those projects as the Parishad may deem fit;
- (f) levy fee or charges for providing services and facilities or for maintenance and development thereof from the tourists;
- (g) *Suo-moto* take up any work/project to promote and secure the development, re-development and beautification of any area in the entire Chitrakoot region;
- (h) select an Implementing Agency for preparation and implementation of any Project plan in a transparent manner by following the rules and regulations of the State Government;
- (i) entrust to the Planning and Development Committee such other functions as it may consider necessary to carry out the provisions of this Act.
14. The functions of the Parishad shall be,- Functions of the Parishad
- (a) to prepare the Plan;
- (b) to arrange for the preparation of projects by any of the Participating Departments (All department of State Government);
- (c) to co-ordinate the enforcement and implementation of the Plan and the Projects through any one or more of the Participating Departments or Implementing Agencies;
- (d) to ensure proper and systematic programming by the participating departments in regard to project formulation, determination of priorities in the

Chitrakoot region and phasing of development of infrastructural facilities for tourism and conservation of the Chitrakoot Heritage in accordance with stages indicated in the Plan;

(e) to make concerted efforts towards enhancing awareness and interest in intangible cultural heritage, and document, conserve, safeguard, promote, display and disseminate it systematically;

(f) to undertake and encourage research in the field of heritage of the region,

(g) to undertake conservation and development of rivers and water bodies and their catchments in the Chitrakoot region, to undertake measures for pollution control therein and development of river fronts and water bodies;

(h) to formulate Architectural Regulations to bring about uniformity of the buildings and structures in conformity with the heritage architecture of the region;

(i) to formulate policies to ensure co-ordination between various stakeholders- Government Departments, Local Bodies, Temple Management/Trusts, Self Help Groups, Researchers and Scholars for integrated development of tourism infrastructure and Activities/projects for strengthening, protecting, preserving and promoting the rich cultural heritage of the Chitrakoot region;

(j) to arrange for, and oversee, the financing of selected development projects in the Chitrakoot region through State funds and other sources of revenue like funds from Temple Trusts, donations, Non-government Organization, company/firms and tourists, etc.

(k) to co-ordinate with authorities in adjoining regions in matters and activities there that have or may have a bearing in Chitrakoot region to promote harmony in actions.

Functions of the
Planning and
Development
Committee

15. (1) The functions of the Planning and Development Committee shall be to assist the Parishad in-

(a) the preparation and co-ordinated implementation of the Plan and the Projects;

(b) scrutinizing the projects of the Participating Department or an Implementing Agency to ensure that the same are in conformity with the Plan;

(c) making such recommendations to the Parishad as it may think necessary to amend or modify any Plan;

(d) co-ordinating and Implementing different Projects at the district level;

(e) performing such other functions, in connection with the administration of this Act, as may be entrusted to it by the Parishad.

(2) Different Government departments in the district having departmental budget sanctions and other implementing Agencies shall also co-ordinate with the Planning and Development Committee to ensure convergence and co-ordination of their schemes/projects with those which are under the Plan.

CHAPTER-IV

THE PLAN AND THE PROJECT PLANS

Contents of the
Plan

16. (1) The Plan shall be a written statement and shall be accompanied by such maps, diagrams, illustrations, and descriptive matters, as the Parishad may deem appropriate for explaining or illustrating the proposals contained in the Plan and every such maps, diagrams, illustration, and descriptive matters shall be deemed to be a part of the Plan.

(2) The Plan shall indicate the manner in which the development activities in the Chitrakoot region or conservation and such other matters, as are likely to have any important influence on the development of the tourism in Chitrakoot region and conservation of Chitrakoot Heritage shall be undertaken. The Plan shall include the

following elements needed to achieve objectives of the Plan, namely:-

(a) the policy to regulate land-use and the allocation of land for different uses;

(b) the proposals for major Urban settlement pattern and architectural regulations;

(c) the proposals for providing suitable economic base for future growth;

(d) the proposals regarding transport and communication including railways and arterial roads serving the region including local transport;

(e) the proposal for the supply of urban services like drinking water, sewerage and drainage;

(f) indication of the areas which require immediate development as priority areas;

(g) the proposals towards enhancing awareness and interest in intangible cultural heritage, and document, conserve, safeguard, promote, display and disseminate it systematically;

(h) such other matter as may be included by the Parishad in consultation with the concerned participating departments for the proper planning for the growth and balanced development of the Chitrakoot region.

17. For the preparation of the Plan, the Parishad may cause such surveys and studies as it may consider necessary to be made by such participating development or persons as it may appoint in this behalf and may also associate such experts or consultants for carrying out studies in relation to such specific matters as may be determined by it.

Surveys and Studies

18. (1) Before finalising the Plan, the Parishad shall prepare with the assistance of the Planning and Development Committee a Plan in draft and publish it by making a copy thereof available for inspection and publishing a notice in such form and in such manner as may be prescribed inviting objections and suggestions from any person with respect to the draft Plan before such date as may be specified in the notice.

Procedure to be followed for preparation of the Plan

(2) The Parishad shall also give reasonable opportunities to every Local Authority/ Department, within whose local limits any land affected in any manner by the Plan is situated, to make any representation with respect to the draft Plan.

(3) After considering all objections, suggestions and representations that have been received by the Parishad, the Parishad shall finally prepare the Plan.

19. Immediately after the Plan has been finally prepared, the Parishad shall publish, in such manner as may be prescribed, a notice stating that the Plan has been finally prepared by it and naming the places where a copy of the Plan may be inspected at all reasonable hours and upon the date of first publication of the aforesaid notice, the Plan shall come into force and will be deemed to have been duly prepared.

Date of coming into operation of the Plan

20. (1) The Parishad may, subject to the provisions of sub-section (2) make such modifications in the Plan, as it may think fit, which in its opinion do not affect important character of the Plan and which do not relate to the extent of land uses or the standards of population density.

Modifications of the Plan

(2) Before making any modification in the finally prepared plan the Parishad shall publish a notice in such form and in such manner as may be prescribed indicating therein the modifications which are proposed to be made in the finally prepared Plan, and inviting objections and suggestions from any person with respect to the proposed modifications before such date as may be specified in the notice and shall consider all objections and suggestions that may be received by it on or before the date so specified.

(3) Every modification made under this section shall be published in such manner as the Parishad may specify and the modification shall come into operation

either on the date of such publication or on such later date as the Parishad may fix.

(4) If any question arises whether the modification proposed to be made are modifications which affect important character of the Plan, it shall be decided by the Parishad whose decision thereon shall be final.

Review and revision of the Plan

21. (1) After every five year from the date of coming into operation of the finally prepared Plan, the Parishad shall review such Plan in its entirety and may, after such review, substitute it by a fresh Plan or may carry out such modifications or alterations therein as may be found by it to be necessary in concurrence with the Planning and Development Committee.

(2) Where it is proposed to substitute the Plan with a fresh Plan or where it is proposed to carry out any modification or alteration, such fresh Plan or, as the case may be, modifications or alterations, shall be published and dealt with in the same manner as if it were the Plan referred to in section 18 and 19 or as if they were the modifications or alterations in the plan made under section 20.

Preparation of the Project Plan, co-ordination and convergence

22. (1) A participating department may, by itself or in collaboration with one or more of the participating departments prepare Project Plans for one more element of the Plan.

(2) Various participating departments in the district receiving grants, loans or budget sanctioned by the State Government, shall ensure convergence/co-ordination of their departmental schemes with the schemes/projects under the Plan.

CHAPTER-V

FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

Grants, advances and loans by the Government

23. The State Government may, after due appropriation made by Legislature by law in this behalf, make to the Parishad grants, advances and loans of such sums of money as it may consider necessary to enable the Parishad to carry out its functions under this Act.

Constitution of the fund

24. (1) There shall be constituted a Fund to be called the Shree Chitrakoot Dham Vikas Parishad Fund, to be maintained in a separate bank account of its own and there shall be credited thereto,-

(a) any grants and loans made to the Parishad by the State Government under section 23;

(b) all sums paid to the Parishad by the participating departments;

(c) sums received from other sources such as Temple Trusts, donations from Non-Government Organization, companies, firms and individuals, etc;

(d) any other sums received by the Parishad from such other sources as may be decided upon by the State Government in consultation with the Parishad.

(2) The sums credited to the Fund referred to in sub-section (1) shall be applied for-

(a) meeting the salaries, allowances and other remuneration of the Executive Vice-Chairperson, Chief Executive Officer, Additional Chief Executive Officer, the Finance Officer and other officers and employees of the Parishad and for meeting other administrative expenses of the Parishad;

(b) conducting surveys, preliminary studies and drawing up plans/projects for the Chitrakoot region;

(c) providing financial assistance to the participating departments and Implementing Agencies for the implementation of the Plan and the projects subject to such terms and conditions as may be decided by the Parishad;

(d) meeting any other expenses incurred by the Parishad in the administration of this Act.

25. The Parishad shall prepare in such form and at such time every year, as the State Government may specify, a budget for the next ensuing financial year and forward the same to the State Government at least ninety days prior to the commencement of the financial year.

Budget

26. The Parishad shall prepare for every year a report of its activities during that year and submit the report to the State Government in such form and on or before such date as the State Government may specify and such report shall be laid before both Houses of the State Legislature.

Annual Report

27. (1) The Parishad shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet in such form as the State Government may specify.

Accounts and audit

(2) The accounts of the Parishad shall be subject to audit annually by the Examiner, Local fund Accounts and/or the State Government may entrust the audit to the Accountant General, Uttar Pradesh or the Comptroller and Auditor General of India or to any other Auditor on such terms and conditions, in such manner, for such period and at such times as may be agreed upon between him and the State Government.

(3) The rights, authority and privileges of any person conducting audit under sub-section (2) shall,-

(a) in the case of Examiner, Local Fund Accounts, be the same as he has in connection with the audit of the accounts of local authority;

(b) in the case of the Accountant General, Uttar Pradesh or the Comptroller and Auditor General of India, be the same as he has in connection with the audit of Government accounts; and

(c) in the case of any other auditor, as may be prescribed;

(4) The Parishad shall furnish, to the State Government annually or at such times as may be directed by it, a copy of its audited accounts together with the auditor's report thereon.

28. The State Government shall cause the annual report and the auditor's report to be laid as soon as may be after their receipts, before each House of the State Legislature while it is in session.

Annual report and Auditor's report to be laid before the State Legislature

CHAPTER-VI

ACQUISITION AND DISPOSAL OF LAND

29. (1) If, in the opinion of the State Government, any land is required for the development or for any other purpose under this Act, the State Government may acquire such land under the provisions of the Rights to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013).

Acquisition of Land for the purpose of the Act

(2) Where any land has been acquired by the State Government, it may, after it has taken possession of the land, transfer the land to the Parishad for the purpose for which the land has been acquired on payment by the Parishad of the compensation awarded under the Act referred to in sub section (1) and of the charges incurred by the State Government in connection with the acquisition.

(3) Subject to any directions given by the State Government in this behalf, the land acquired by the State Government and transferred to the Parishad may be transferred by the Parishad to such agency owned or controlled by State Government, in such manner and subject to such terms and conditions as it may consider expedient for securing the development of the Chitrakoot region after undertaking or carrying out such development as it thinks fit for the purpose of this Act.

30. No change of purpose or related purposes for which land is originally sought to be acquired shall be allowed except for as provided in the Act referred to in sub-section (1) of section 29.

No change of purpose allowed

Return of
unutilized land

31. When any land acquired for the purpose of this Act remains unutilized it shall be disposed of according to the provisions of the Act referred to in sub-section (1) of section 29.

CHAPTER-VII

MISCELLANEOUS

Provisions to be in
addition to existing
laws

32. The provision of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other Act or law for the time being in force.

Power of the State
Government to
give directions

33. The State Government may, from time to time, give such directions to the Parishad as it may think fit for the efficient administration of this Act and the Parishad shall be bound to comply with such directions.

Technical
Assistances to the
Parishad/Planning
and Development
Committee

34. (1) The State Government may direct any of its departments to provide, on such terms and conditions as may be mutually agreed upon, such technical assistance to the Parishad as it may consider necessary.

(2) With a view to enabling the Planning and Development Committee to discharge its functions, the Parishad shall, out of the technical assistance received by it under sub-section (1) make available to the Planning and Development Committee such technical assistance as the Planning and Development Committee may require.

Officers and
employees of the
Parishad

35. (1) The State Government may appoint two suitable persons respectively as Additional Chief Executive Officer and the Finance Officer of the Parishad who shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed by regulations or delegated to them by the Parishad or the Chief Executive Officer.

(2) Subject to such control and restrictions as may be determined by general or special order of the State Government, the Parishad may, subject to any rules that may be made in this behalf, make appointments on such post and determine the designations and grades of persons so appointed as may be necessary for the efficient discharge of its functions under this Act.

(3) There shall be a legal advisor to advise the Parishad in legal matters, who shall be appointed in consultation with the law department of the State Government.

(4) The qualifications, terms and conditions of service and functions and duties of officers and employees, appointed under sub-section (2), shall be such as may be prescribed.

(5) The Additional Chief Executive Officer, the Finance Officer and other Officers and employees of the Parishad shall be deputed from any department on deputation and shall be entitled to the salaries and allowances from the funds of the Parishad for a minimum period of 3 years and maximum period of 5 years with the approval of the State Government.

Delegation

36. The Parishad may, by general or special order, direct that any function or power (other than the power to approve the Plan, modifications and alterations therein and to make regulations), or duty performed, exercised or discharged by it under this Act or the rules made there under shall, subject to such conditions, if any, as may be specified in such order, be performed, exercised or discharged also by such officer as may be specified in the said order and where any such delegation of power is made, the officer to whom such power is delegated shall perform, exercise or discharge those powers.

Power of entry

37. Subject to any rules made in this behalf, any person generally or specially authorized by the Parishad in this behalf, may, at all reasonable times, enter upon any land or premises and do such things thereon as may be necessary for the purpose of lawfully carrying out any works or for making any survey, examination or investigation, preliminary or incidental to the exercise of any power or performance of any function by the Parishad under this Act :

Provided that no such person shall enter any building, or any enclosed courtyard or garden attached to a dwelling- house without previously giving the occupier thereof at least three days' notice in writing of his intention to do so.

38. The Officers and other employees of the Parishad shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Act no. 45 of 1860).

Officers and employees of the Parishad to be public servants

39. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Parishad, Planning and Development Committee, their Members, officers or employees including any other person authorized by them to exercise any power or to discharge any function under this Act for anything which is done or intended to be done in good faith under this Act.

Protection of action taken in good faith

40. (1) The State Government may, by notification in the *Gazette*, make rules to carry out the purposes of this Act.

Power to make rules

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers such rules may provide for all or any of the following matters, namely: -

(a) the terms and conditions of the office of the members as required by sub-section (4) of section 3 and sub section (3) of section 6;

(b) the form and manner in which notice under sub-section (1) of section 18 and sub-section (2) of section 20 shall be published;

(c) the manner in which notice under section 19 shall be published;

(d) any other matter which is to be or may be prescribed or in respect of which provision is to be or may be made by rules.

41. (1) The Parishad may, with the previous approval of the State Government by notification in the *Gazette* make regulations not inconsistent with this Act and the rules made there under to carry out the provisions of this Act.

Power to make regulations

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers such regulations may provide for all or any of the following matters, namely: -

(a) the manner in which and the purpose for which the Parishad may associate with itself any person under section 17;

(b) the terms and conditions of service of the officers and employees of the Parishad under sub-section (4) of section 35;

(c) any other matter in respect of which provision is to be or may be made by regulations.

42. (1) Where the State Government is satisfied that the purpose for which the Parishad was established under this Act have been substantially achieved or the Parishad has failed in its objectives, so as to render the continued existence of the Parishad in the opinion of the State Government unnecessary, the State Government may, by notification in the *Gazette*, declare that the Parishad shall be dissolved with effect from such date as may be specified in the notification; and the Parishad shall be deemed to have been dissolved accordingly.

Dissolution of the Parishad

(2) From the said date-

(a) all properties, fund and dues which are vested in or, realizable by the Parishad shall vest in, or be realizable by, the State Government;

(b) all liabilities which are enforceable against the Parishad shall be enforceable against the State Government;

(c) for carrying out any work which has not been fully carried out by the Parishad and for realizing properties, funds and dues referred to in clause (a), the functions of the Parishad shall be discharged by the State Government.

(3) Nothing in this section shall be construed as preventing the State Government from reconstituting the Parishad in accordance with the provisions of this Act.

Power to remove
difficulties

43. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, for removing such difficulty, by order published in the *Gazette*, direct that the provision of this Act shall, during such period as may be specified in the order, have effect subject to such adaptations, whether by way of modification, addition or omission, as it may deem to be necessary and expedient.

(2) No order under sub-section (1) shall be made after the expiration of a period of two years from the date of commencement of this Act.

(3) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before each house of the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There has been felt a need to provide for the constitution of Shree Chitrakoot Dham Teerth Vikas Parishad for the preparation of a plan for preserving, developing and maintaining the aesthetic quality of Chitrakoot heritage in all hues-cultural, ecological and architectural; co-ordinating and monitoring the implementation of such plan and for evolving harmonized policies for integrated tourism development and heritage conservation and management in the region; giving advice and guidance to any Department/local body/Authority in the District of Chitrakoot in respect of any plan, project or any development proposal which affects or is likely to affect the heritage resources of the Chitrakoot region and for matters connected therewith or incidental there to.

In view of the above, it has been decided to make a law to provide for the establishment of Shree Chitrakoot Dham Teerth Vikas Parishad.

The Uttar Pradesh Shree Chitrakoot Dham Teerth Vikas Parishad Bill, 2021 is introduced accordingly.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.